सऊदी अरब को प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर टिप्पणी

छोटी इलायची, अतिप्राचीन काल से भारत से निर्यातित प्रमुख मसालों में से एक है। भारतीय छोटी इलायची का प्रमुखतः सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ईरान, यूएसए, खतर, कनाडा, यूके, जापान आदि देशों में निर्यात किया जाता है। अपने में निहित निजी गुण, उत्तम सुगंध व स्वाद आदि के कारण सऊदी अरब के उपभोक्ता अपने पारंपरिक अरबी कॉफी, 'काहवा', की तैयारी केलिए भारतीय छोटी इलायची पसंद करते हैं।

मई 2018 के दौरान, सऊदी अरब को निर्यात किए गए भारतीय छोटी इलायची के कुछ परेषणों को सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (एसएफ़डीए) द्वारा निर्धारित एमआरएल से अधिक नाशकजीवनाशी अवशेष पाये जाने के कारण रोका गया। तत्पश्चात्, साउदी अरब केलिए भारत से छोटी इलायची के निर्यात में काफी गिरावट आई।

मुद्दों को सुलझाने / सऊदी अरब में छोटी इलायची का निर्यात फिर से शुरू करने के लिए, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारी और छोटी इलायची के प्रमुख निर्यातक शामिल थे, ने 17-19 दिसंबर 2019 को रियाद, सऊदी अरब का दौरा किया था। सऊदी खाद्य और औषधि प्राधिकरण (एसएफ़डीए) के साथ विचार-विमर्श के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने तकनीकी रूप से एसएफडीए मानकों का, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए कोडेक्स मानकों तथा अन्य आयात करने वाले देशों के मानकों के साथ तुलना करके तकनीकी मुद्दों / विसंगतियों पर प्रकाश डालने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा, भारत के दूतावास, रियाद के अधिकारियों की उपस्थिति में जीसीसी मानकीकरण संगठन (जीएसओ), जीसीसी क्षेत्र के छोटी इलायची के प्रमुख खरीददार, सुपरमार्केट/थोक व्यापारी आदि के साथ बैठकें हुईं।

प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) से क्लीयर की गई परीक्षण-रिपोर्ट के साथ, स्पाइसेस बोर्ड के उत्पादन करने और निर्यात करने के रोड मैप पर सऊदी अधिकारियों को अवगत कराया। दल, अन्य देशों के निर्यात चेतावनी को सफलतापूर्वक संभालने में स्पाइसेस बोर्ड की क्षमता पर एसएफ़डीए को कायल कर सका है । यह सुझाया गया कि एसएफ़डीए विश्व स्तर पर स्वीकार किए गए मानदंड जैसे कि अनुमानित दैनिक सेवन (EDI), कोडेक्स मानक, मृदा और पर्यावरण में नाशकजीवनाशकों के लिए अपव्यय का समय, मसालों के लिए एसएफ़डीए द्वारा निर्धारित एमआरएल में देखी गई विसंगतियों से निपटने केलिए आयात निरीक्षण आदि निर्धारित करते/शुरू करते वक्त अन्य देशों द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि पर विचार कर सकता है।

प्रतिनिधिमण्डल ने एसएफ़डीए से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कोडेक्स एमआरएल विश्वस्तर पर स्वीकार किए गए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ) द्वारा संदर्भ मानकों के रूप में माना जाता है, कोडेक्स मानकों के अनुसरण में, दो फसल अवधि (सितंबर, 2022 तक) केलिए इलायची हेतु नाशीजीवनाशियों के एमआरएल में ढील लाते हुए कुछ उपशमन समयावधि प्रदान की जाए और भारतीय छोटी इलायची के निर्यात की अनुमति पर विचार किया जाए।

एसएफडीए ने, बोर्ड के अनुरोध के जवाब में, सूचित किया कि मानकों को संशोधित किया जा रहा है। इसके अलावा स्पाइसेस बोर्ड और एसएफडीए के बीच एक सक्रिय जुड़ाव जारी रखने का निर्णय लिया गया और इसके अनुसार यह निर्धारित किया गया कि कार्यान्वयन से पहले सुझावों के लिए, स्पाइसेस-बोर्ड की कार्य योजना को एसएफडीए के साथ साझा किया जाए।

सूपरमार्केट और अन्य प्रमुख खरीददारों के साथ चर्चा से व्यक्त हुआ कि सऊदी ग्राहक तेजी से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और सुरक्षित / जैविक उत्पादों की मजबूत मांग है। यह सऊदी बाजार में आईपीएम अनुरूप इलायची के निर्यात के लिए भविष्य की संभावनाओं को प्रस्तुत करता है। यह भी बताया गया कि अपने समृद्ध सहज गुणों के कारण सऊदी उपभोक्ताओं द्वारा भारतीय इलायची की मांग की जाती है।

एसएफडीए के साथ चर्चा के आलोक में, भारत के दूतावास, रियाद के माध्यम से रोडमैप और भारत से पंजीकृत मसाला निर्यातकों की सूची को आगे जरूरतमंदों के लिए साझा किया गया।

*****